न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली) राजस्थान
पिठासीन अधिकारी : श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– 30 / 2020
वाद दर्ज दिनांकः 10 / 03 / 2020

वादीः–
1– पूनाराम पुत्र गेनारामजी, आयु 65 वर्ष जाति गुरू, निवासी घाणेराव, तमाम तहसील –देसुरी जिला –पाली (राजस्थान)

बनाम
प्रतिवादीगण :–
1. बगदाराम पुत्र अनारामजी आयु 62 वर्ष जाति गुरू,
2. मूली पत्नी पूनारामजी आयु 62 वर्ष जाति गुरू,
तमाम निवासी घाणेराव, तमाम तहसील –देसुरी जिला –पाली (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार देसुरी जिला– पाली राजस्थान

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः:–
1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार माली,
2. प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अजीतसिंह
3. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

"निर्णय"

दिनांक 30/09/2022

वकील वादिगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया कि मौजा सरहद घाणेराव, पटवार हल्का घाणेराव, तहसील देसूरी जिला– पाली राजस्थान की सीमा क्षेत्र के खसरा संख्या 1949 क्षेत्रफल 0.010 हैक्टेयर (पुराने खसरा संख्या 641 क्षेत्रफल 5 बिस्वा) किस्म गैर मुमकिन बेरा की खातेदारी कृषि भूमि वादीगण और प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

एक के पूर्वजों की सहखातेदारी की कृषि भूमि का बेरा विद्यमान है, जो कृषि भूमि के सुधार कार्य में कृषि उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है। जिस वादग्रस्त बेरा के सहखातेदार चूना, भोमा पुत्र लीखमा, मगना पुत्र भूताजी, गेनीया, अनीया, पुकिया पुत्र दीपा 1/2 और लछीया पुत्र जवान 1/2 के खातेदार है जो संवत् 2011–14 के खाता संख्या 204 के इन्द्राजों एवं नामांतरकरण संख्या 878 दिनांक 14.05.1971 के इन्द्राजों से प्रमाणित है। संवत् 2011– 14, खतौनी बंदोवस्त संवत् 2009– 28 और बाद की जमाबंदी अनुसार ही इन्द्राजों की पुरावृति अगले चौसाला जमाबंदी संवत् 2026– 29 में किया जाना था, जो लिपिकिय भूल और त्रुटी से नहीं किया जाकर जमाबंदी के कालम संख्या 5 में गेनीया, अनिया, पुकिया पिता दीपाजी के बजाय गेनीया, मनीया पिता पुखीया कर दिया गया जबकि गेनीया, अनीया और पुकिया तिनों ही सगे भाई दीपाजी के पुत्र हैं जो पुरानी जमाबंदी के इन्द्राजों से प्रमाणित है। मनाराम पुत्र पकाराम के नाम से वादी के परिवार और वंश वंशावली में कोई व्यक्ति नहीं है। अनाराम पुत्र दीपाजी का पुत्र प्रतिवादी संख्या एक बगदाराम है। दौराने भू प्रबंध कार्यवाही भी गलत इन्द्राजों को निरंतर रखते हुए खतौनी बंदोवस्त जारी करदी गई जिससे प्रार्थीगण को अपने भू अधिकार अभिलेखों में नाम इन्द्राजों को लेकर की गई भूल को दुरूस्त कराने के लिये यह प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पेश किया जा रहा है। लछिया पुत्र जवानजी का निःसंतान स्वर्गवास आज से करीबन 98 वर्षो पूर्व होने से 1/2 के शेष खातेदारान वादीगण और प्रतिवादी संख्या एक के पूर्वज वारीसान होने से उन्हें तमाम खातेदारी हक अधिकार निहित हुए, भोमा पुत्र लिखमा के स्वर्गवास पर भोमा के भाई चुना में खातेदारी हक अधिकार निहित होने से चुना के वारीसान हंसाराम, सोहनलाल, बाबुलाल उर्फ नारायणलाल ने अपने तमाम खातेदारी हक अधिकार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 26.06.2013 को वादी के हक में बेचान कर दिये है जिसके जरिये वादी के नाम नामांतरकरण खोला जाकर बाबुलाल उर्फ नारायणलाल का नाम विलोपित किया गया लेकिन एक [illegible] नामांतरकरण में सेवन से हंसाराम, सोहनलाल का नाम विलोपित नहीं [illegible] जो लिपिकिय भूल मात्र है। पकाराम उर्फ पुकिया पुत्र दीपाजी के स्वर्गवास [illegible] उनके जायंदा वारीसान गिरधारी, बाबू, जगदीश और सगन ने वादग्रस्त बेरा और खातेदारी कृषि में से तमाम खातेदारी हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अधिकार दिनांक 26.06.2020 को प्रतिवादी संख्या दो के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान कर दिये है। प्रमाण में विक्रय विलेखों की प्रतिलिपियां पेश है। वादग्रस्त आराजी में से पुकिया पुत्र दीपा और चुना पुत्र लखमा के वारीसान द्वारा अपने तमाम खातेदारी हक अधिकारों का बेचान करने तथा लछिया पुत्र जवानजी का निःसंतान स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त बेरा में तमाम खातेदारी हक अधिकार वादी और प्रतिवादीगण को निहित हुए है। वर्तमान भू अधिकार अभिलेखों में मनिया पुत्र पकिया का नाम लिपिकिया भूल से गलत रूपेण इन्द्राज होने, लच्छीया पुत्र जवान का निः संतान स्वर्गवास होने और शेष खातेदार द्वारा संपूर्ण हक अधिकारों का बेचान करने से निकट वारीसान वादी और प्रतिवादी संख्या एक होने तथा विक्रय विलेख के जरिये सोहनलाल, हंसाराम पुत्र चुनाजी के तमाम हक अधिकार वादी द्वारा खरीद करने से वादग्रस्त आराजी के भू अधिकार अभिलेखों से नाम विलोपित किये जाकर वादी को 13/18वां हिस्सा, वादी संख्या एक को 2/9वां हिस्सा और प्रतिवादी संख्या दो को 1/18वां हिस्सा के खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया गया।

इस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या एक, दो ने वादी के वाद को स्वीकार कर माफिक वाद मनाराम पुत्र पकाराम, हंसाराम, सोहनलाल पुत्र चुनाजी तथा लच्छाराम पुत्र जवानराम का नाम विलोपित कर वादी को 13/18वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 2/9वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या दो को 1/18वां हिस्सा का खातेदार घोषित करने की डिक्री जारी करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या तीन भूमिधारी तहसीलदार की ओर से भी वादी के वाद अभिवचनों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी वादी को अनुतोष प्रदान किया जाना उचित रहेगा कहते हुए स्वीकारोक्ति की गई है। इस प्रकार वादी के वाद की प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारोक्ती की जाने से वाद में विवाद्यक नहीं बनाये गये। वादी पुनाराम के बयान लेखबद्ध किये जाकर दस्तावेजी को प्र[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

वादी और प्रतिवादीगण ने दिनांक 02.02.2022 [illegible] न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने जवाबदावा एवं वाद के अभिवचनों को स्वीकार करते हुए, माफिक सहमति लोक

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अदालत की भावना से वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, वादी द्वारा पत्रावली मे दस्तावेज विक्रय विलेख, जमाबंदी, नामांतरकरण, खतौनी बंदोवस्त पेश की हुई है।

वादी के वाद का प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारोक्ति दी गई और पक्षकारान ने स्वयं उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर माफिक वाद अनुतोष वाद डिक्री करने का सशपथ प्रस्तुत जवाबदावा में और उपस्थित होकर निवेदन करने, भूमिधारी द्वारा भी प्रार्थी को अनुतोष दिया जाना उचित होना लिखित जवाब में स्वीकार करने से माफिक स्वीकारोक्ती न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त बेरा मौजा सरहद घाणेराव, पटवार हल्का घाणेराव, तहसील देसुरी जिला— पाली राजस्थान की सीमा क्षेत्र के खसरा संख्या 1949 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा के अधिकार अभिलेखों से मनाराम पुत्र पकाराम एवं हंसाराम, सोहनलाल पुत्र चुनाजी तथा लच्छाराम पुत्र जवानराम का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 13/18वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक को 2/9वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या दो को 1/18वां हिस्सा का खातेदारी की इन्द्राज की जावें। माफिक आदेश तहसीलदार देसूरी पालना कर रेकर्ड में इन्दाज करावें। माफिक निर्णय डिकी पर्चा जारी हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (राज.) (पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/9/ .2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (राज.) (पाली)

अंतिम डिकी बमूकददमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली) राजस्थान
पिठासीन अधिकारी : श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– 30/2020
वाद दर्ज दिनांकः 10/03/2020

वादीः–
1– पूनाराम पुत्र गेनारामजी, आयु 65 वर्ष जाति गुरू, निवासी घाणेराव, तमाम तहसील –देसुरी जिला –पाली (राजस्थान)

बनाम
प्रतिवादीगण :–
1. बगदाराम पुत्र अनारामजी आयु 62 वर्ष जाति गुरू,
2. मूली पत्नी पूनारामजी आयु 62 वर्ष जाति गुरू,
तमाम निवासी घाणेराव, तमाम तहसील –देसुरी जिला –पाली (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार देसुरी जिला– पाली राजस्थान

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः:–
1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार माली,
2. प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अजीतसिंह
3. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजीर दिनेश कुमार माली अधिवक्ता मिनजाबिन, अधिवक्ता अजीतसिह मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादग्रस्त बेरा मौजा सरहद घाणेराव पटवार हल्का घाणेराव, तहसील देसुरी जिला– पाली राजस्थान की सीमाक्षेत्र के खसरा संख्या 1949 क्षेत्रफल 0.010 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा के अधिकार अभिलेखों से मनाराम पुत्र पकाराम एवं हंसाराम, सोहनलाल पुत्र चुनाजी तथा लच्छाराम पुत्र जवानराम का नाम विलोपित

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

किया जाकर वादी को 13/18वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक को 2/9वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या दो को 1/18वां हिस्सा का खातेदारी की इन्द्राज की जावें। माफिक आदेश तहसीलदार देसूरी पालना कर रेकर्ड में इन्द्राज करावें।

लीज .... मुबकिल .... बाबत .... खर्चा इस मुकददमें मय सुद व .... शहर .... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख:– 30 / 09 /2022

मोहर
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

ओहदा:– उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (राज.)

मुददई	रुपया	पैसा	मुददायला	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबुत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबनइजराय हुक्मनामा		
बाबन इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			[illegible]		

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्चा डिग्री के अतिरिक्त दिलाया गया हो या नही हो दर्ज किया जाना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested